

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा 886/2017 दिनांक 18, नवम्बर 2017 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के ग्राम-खोली में स्टेडियम निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.848 है० वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु दुगुने अर्थात् 5.696 है० के वनीकरण हेतु वन विभाग द्वारा कालापैर कापडी कपकोट एवं हरकोट गॉव तहसील कपकोट की विहित सोयम भूमि का चयन किया गया है। उक्त भूमि वनीकरण हेतु उपर्युक्त होने का प्रमाण पत्र जमीन वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा प्रस्ताव के 2.10(प्रपत्र 43) में दिया गया है।

उक्त भूमि मध्ये तहसीलदार कपकोट में पत्रांक संख्या 471 दिनांक 09, अगस्त 2018 के द्वारा 5.20 है० एवं पत्रांक संख्या- 502/र०का०/2018 दिनांक 24 अगस्त, 2018 के द्वारा 0.496 है० की खतौनी दी गई है जो संलग्न है।

संलग्न- खतौनी की एक-एक प्रति


 जिला क्रीड़ा अधिकारी
 बागेश्वर।

2.10

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या -886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम कालापैर कापडी में 5.20 है० भूमि व हरकोट में 0.496 है० भूमि गॉव तहसील कपकोट जिला बागेश्वर की सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।


वन क्षेत्र अधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग


वन क्षेत्र अधिकारी,
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।